



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश


निदेशालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक: स्थापना-III/टीई/डी.सी.रेट/ इलैक्ट्रॉनिक्स/2016/14297 दिनांक 23.12.2016 के आदेशानुसार श्रीमति अर्चना सपुत्री श्री वेद प्रकाश E.B.P.G. कैटागरी को राजकीय आई0टी0आई0 बालसमन्द मे इलैक्ट्रॉनिक्स मकैनिक व्यवसाय मे अनुबन्ध आधार पर लगाने के आदेश पारित किये गये थे, प्रार्थी के मूल दस्तावेजों को पुनः चैक करने उपरान्त उनमे भिन्नता पाई जाने पर उक्त दिये गये आदेश तुरन्त प्रभाव से रद्द किये जाते है।

श्री अशोक कुमार सपुत्र श्री सत्यपाल सिंह (वार्ड नं0 16, Sanan Pana Tigrana, District Bhiwani E.B.P.G. कैटागरी मे इलैक्ट्रॉनिक्स मकैनिक व्यवसाय (आई0टी0आई0/सी0टी0आई0) मे मैरिट अनुसार अनुबन्ध आधार पर राजकीय आई0टी0आई0 बालसमन्द मे रिक्त पद के प्रति लगाया जाता है।
दिनांक: 24.1.2017

निदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक स्थापना-III/टीई/डी.सी.रेट/ इलैक्ट्रॉनिक्स/2016/1601 दिनांक 27-1-17
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सहायक निदेशक, (प्रशिक्षण) वैबसाईट पर डालने हेतु।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0 बालसमन्द को आदेश दिये जाते है कि वह सम्बन्धित व्यवसाय में दाखिला पूर्ण होने की स्थिति में ही प्रार्थी से नियमानुसार उनके मूल दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए Service Agreement करने उपरान्त उसे कार्यग्रहण करवाया जाये और उसकी कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति तुरन्त निदेशालय को भिजवाये। इसके साथ- साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता /अनुभव प्रमाण पत्रों की वैरीफिकेशन करवाई जाये, यदि प्रार्थी का कोई प्रमाण पत्र गलत/बोगस पाया जाता है तो उसकी सेवाये समाप्त करते हुये निदेशालय को सूचित करे।
3. श्री अशोक कुमार सपुत्र श्री सत्यपाल सिंह (वार्ड नं0 16, Sanan Pana Tigrana (Bhiwani)


सहायक निदेशक (स्थापना-III)
कृते निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।